भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 886
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम-जी के तहत हिस्सा जारी करने में देरी

886. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत राज्यों के हिस्से को जारी करने में होने वाली देरी की समस्या के समाधान के लिए एक प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तंत्र स्थापित करने का विचार है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण [एसबीएम (जी)] चरण-II के तहत राज्यों को पीएफएमएस के तहत एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधियां जारी की जा रही हैं, जिसे 2023 में व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा शुरू किया गया था। डीओई द्वारा जारी मॉड्यूल के दिशानिर्देशों में एसएनए-स्पर्श के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है ताकि उचित निगरानी और राज्य अंश का जारी करना भी सुनिश्चित किया जा सके।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, एसबीएम (जी) चरण II के तहत निधियां जारी करने और निगरानी के लिए पीएफएमएस के तहत एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के लिए व्यय विभाग (डीओई) द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों का पालन करता है।

*****